

व्यवसाय अर्जन एवं संबंध प्रबंधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

निष्क्रिय/अपरिचालित खातों को बंद करने हेतु सार्वजनिक सूचना

बैंक ने देखा है कि कई खातों में पिछले 3 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई परिचालन नहीं किया जा रहा है और इन खातों में कोई बैलेंस नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन खातों का दुरुपयोग न हो, बैंक ने अंतर्निहित जोखिम को रोकने के लिए ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है।

अतः दिनांक 01.05.2024 को ऐसे सभी खाताधारकों को नोटिस दिया गया था, कि जिन्होंने 30.04.2024 तक 3 वर्षों से अधिक समय से अपने खाते का परिचालन नहीं किया है तथा जिनके खाते में शून्य बैलेंस या कोई बैलेंस नहीं है, ऐसे सभी खाते दिनांक 01.06.24 को या उसके बाद बिना किसी अगली सूचना के, बंद कर दिए जाएंगे अगर दिनांक 31.05.2024 तक ग्राहक द्वारा उन्हें संबंधित शाखा में केवाईसी दस्तावेज जमा करके सक्रिय नहीं करा दिया जाता।

ऐसे सभी खाताधारकों से पुनः अनुरोध है कि वे ऊपर दी गई सूचना के अनुसार खातों को फिर से सक्रिय करा लें ताकि वे बैंक की निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकें।

कृपया ध्यान दें कि डीमैट खातों से जुड़े खाते, सक्रिय स्थायी अनुदेश वाले लॉकर, 25 वर्ष से कम आयु वाले ग्राहक के छात्र खाते, नाबालिगों के खाते, विशिष्ट उद्देश्यों जैसे पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई/एसएसवाई/एपीवाई, डीबीटी के लिए खोले गए खाते तथा न्यायालय, आयकर विभाग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के आदेश द्वारा फ्रीज किए गए खाते इस प्रक्रिया के अंतर्गत बंद नहीं किए जाएंगे।

आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने/सहायता के लिए अपनी शाखा से संपर्क करें।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता